


## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) की धारा -04 और 05 के अन्तर्गत कार्मिक की पद स्थापना के लिए पद वर्गीकरण करने तथा सुगम एवं दुर्गम स्थलों को चिन्हित और प्रकटीकरण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 कार्मिक अनुभाग-2, देहरादून, दिनांक 06 फरवरी 2018 के बिन्दु संख्या 02 के उपबिन्दु 02 में वर्णित प्रत्येक विभाग में जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की जानी वाली तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण मानकों के अनुसार किये जाने के दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 28.03.2018 की बैठक में की गई सँस्तुति के आधार पर जनपद हरिद्वार के 6 विकास खण्ड मुख्यालय/46 न्याय पंचायत मुख्यालय एवं 308 ग्राम पंचायतों को परिशिष्ट-1, धारा 03 के खण्ड (झ) के अन्तर्गत पंचायती राज/ग्राम्य विकास एवं कृषि विभाग के कार्मिकों की तैनाती हेतु एतद् द्वारा सुगम घोषित किया जाता है ।

  
(दीपक रावत)  
I.A.S  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

## कार्यालय - जिलाधिकारी हरिद्वार

- पत्रांक-मु0कृ0/5083/स्था0/स्थाना.-सुगम- दुर्गम/2017-18/दिनांक 31-3-2018  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 1-समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद हरिद्वार ।
  - 2-जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार ।
  - 3-जिला विकास अधिकारी हरिद्वार ।
  - 4-मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार ।
  - 5-निदेशक, पंचायती राज उत्तराखण्ड देहरादून ।
  - 6-कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून ।
  - 7-आयुक्त ग्राम्य विकास, ग्राम्य विकास निदेशालय उत्तराखण्ड पौड़ी गढवाल ।

  
(स्वाति ए.स. भदौरिया)  
I.A.S  
मुख्य विकास अधिकारी  
हरिद्वार

कार्यालय, जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार।

पत्राक 47 /स्था0-2/स्थानान्तरण जिला स्तर/2018

दिनांक 5 अप्रैल,2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 12/दिनांक 05.01.2018 (उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम,2017) की धारा-16(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा ग्राम्य विकास विभाग में कार्यरत कार्मिकों का जनपद के अन्दर किये जाने वाले वार्षिक स्थानान्तरण हेतु निम्नानुसार स्थायी स्थानान्तरण समिति गठित की गई है:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार - अध्यक्ष
2. जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार - सदस्य
3. परियोजना निदेशक, DRDA, हरिद्वार- सदस्य
4. प्रभारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट,हरिद्वार - जिलाधिकारी,हरिद्वार द्वारा अन्य विभाग के नामित सदस्य



(पुष्पेन्द्र सिंह चौहान)  
जिला विकास अधिकारी,  
हरिद्वार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
2. प्रभारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट,हरिद्वार।
3. मुख्य विकास अधिकारी,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC, हरिद्वार।



जिला विकास अधिकारी,  
हरिद्वार।